FTS- 98/2013

राजकीय प्रयोजनार्थ

न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 44/2013

प्रविष्टि दिनांक 12.06.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

छोगा पुत्र बालू जाति माली निवासी गोलीपुरा तह. मालपुरा जिला टोंक

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. राजकीय पेरोकार श्री रामप्रसाद कुमावत व श्री मजहर आलम एड0
2. अभिभाषक अप्रार्थी ।

अभिशंषा दिनांक 27–9–2022

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि खसरा नम्बर 419/1 रकबा 49 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम टोरडी तह0 मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से 2 बीघा अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 01.02.1983 के द्वारा श्री छोगा पुत्र बालू जाति माली निवासी गोलीपुरा को जरिये नामान्तकरण सं. 2238 से गैर खातेदारी आवंटित की गई। आवटिंत भूमि की खोतदारी जरिये नामान्तकरण सं. 3165 दिनांक 21.05.1990 से हुई। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। अतः तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन की गई भूमि का आवंटन एवं नामान्तकरण सं. 2238 व 3165 को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स अभिशंषा के साथ भिजवाने हेतु निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 27.12.2018 को श्री श्याम सुन्दर विजय एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 27–12–2018 से कई अवसर देने के पश्चात भी जवाब पेश नही किया। अतः प्रकरण में राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया खसरा नम्बर 419/1 रकबा 49 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला वाके टोरडी तह0 मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से 2 बीघा अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 01.02.1983 के द्वारा श्री छोगा पुत्र बालू जाति माली निवासी गोलीपुरा को जरिये नामान्तकरण सं. 2238 से गैर खातेदारी दी गई। आवटिंत भूमि के खोतदारी के अधिकार जरिये

सत्य प्रतिलिपि

आज्ञा से

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर

टोंक (राज0)

(न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

टोंक

नामान्तकरण सं. 3165 दिनांक 21.05.1990 से प्रदान किये गये। जबकि उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में विपक्षीगण के पक्ष में किया गया आवण्टन दिनांक 01.02.1983 एवं भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 2238 एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 3165 दिनांक 21.05.1990 निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी एंव बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी 2066-69, नकल नामान्तकरण सं. 2238 व 3165 व खतौनी बन्दोबस्त 2010 व आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010 में खसरा नम्बर 419/1 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 01.02.1983 को खसरा नम्बर 419/1 में से 2 बीघा भूमि श्री छोगा पुत्र बालू जाति माली निवासी गोलीपुरा के नाम आवण्टन किया गया। आवण्टन आदेश की अनुपालना में छोगा पुत्र बालू जाति माली निवासी गोलीपुरा को नामा0 सं0 2238 के द्वारा गैर खातेदारी एंव नामा0 संख्या 3165 दि0 21.05.1990 को खातेदारी अधिकार दे दिये गये।

चूँकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010 में खसरा नम्बर 419/1 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। श्री छोगा पुत्र बालू जाति माली निवासी गोलीपुरा ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी और बाद मे खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 01.02.1983 को भूमि छोगा पुत्र बालू जाति माली निवासी गोलीपुरा के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2-8-2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि छोगा पुत्र बालू जाति माली निवासी गोलीपुरा तहसील मालपुरा जिला-टोंक को दिनांक 01.02.1983 को खसरा नम्बर 419/1 रकबा 2 बीघा का आवंटन तथा आवण्टन आदेश की पालना मे श्री छोगा पुत्र बालू जाति माली निवासी गोलीपुरा के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 2238 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 3165 दिनांक 21.05.1990 को निरस्त कर आराजी खसरा नम्बर 419/1 रकबा 2 बीघा भूमि वाके ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा जिला-टोंक को पुनः गैर मुमकिन नाला सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 27-9-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

सत्य प्रतिलिपि

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

न्यायालय ... कलेक्टर
टोंक (राज0)